111/2013
मोगोलाल/चम्पालाल

28-7-22

अभिभाषक अपीलांट् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जिस आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश की अपील अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31–05–2013 की आदेशिका में उल्लेखित कार्यवाही के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अनुसार तहसीलदार, नोखा को आदेश दिनांक 14–05–2013 की पालना में स्मरण पत्र जारी करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द अहकाम एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित होने से अपीलीय आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारार आदेश दिनांक 14–05–2013 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जोकि दिनांक 10–07–2013 को खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 14–05–2013 के अनुसरण में दिनांक 31–05–2013 को अभिलिखित आदेशिका का स्वत्वः समाप्त हो चुका है। लिहाजा अपीलांट् की अपील मेंटेनेबलिटी के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–05–2013 को पारित आदेश में तहसीलदार, नोखा जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–05–2013 को पारित आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, के संबंध में आदेशों की पूर्ण पालना शीध्र करने हेतु पुनः आदेश जारी किये जावे, के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 225 आरटीए के तहत किसी भी आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर सही रूप से प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा मेंटेनेबलिटी के बिन्दु पर प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया जाना कि अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जोकि दिनांक 10–07–2013 को खारिज हो चुकी है, स्वर्था गलत ब्यानी है, अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2013 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी, नाकि आदेश दिनांक 31–05–2013 के विरूद्व। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना में गलत तथ्यों को अंकित करते हुए न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जिसकी कानूनी अनुमति प्रदान नहीं करता है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1/प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 31–05–2013 के विरूद्व अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि जिस आदेशिका की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेशिका दिनांक 31–05–2013 में दिनांक 14–05–2013 की आदेशिका के अनुसरण में स्मरण पत्र जारी करने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसकी अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 225 आरटीए के तहत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका दिनांक 31–05–2013 में अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत द्वारा अभिलिखित किया गया है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14–05–2013 एवं आदेश दिनांक 30–05–2013 की पालना में वांछित कानूनी कार्यवाही नहीं की है। अतः तहसीलदार, नोखा को इस न्यायालय के आदेशों की पूर्ण पालना शीध्र करने हेतु पुनः आदेश जारी किया जावे। उक्त आदेशिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14–05–2013 की पालना हेतु तहसीलदार, नोखा को पत्र लिखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। चूंकि दिनांक 31–05–2013 की आदेशिका में दिनांक 14–05–2013 के आदेश की पालना/अनुसरण में कार्यालय की कार्यवाही करते हुए मात्र स्मरण पत्र जारी किया जाना था, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–05–2013 को पारित आदेश मूल आदेश की श्रेणी का है, जिसके विरूद्व अपीलांट् द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जोकि दिनांक 10–07–2013 को खारिज की गई, जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जोकि दिनांक दिनांक 25–11–2013 को इस निर्देशि के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई कि वे उनके समक्ष जैरकार वादपत्र का छः माह में निस्तारण करें। चूंकि पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना शेष है। लिहाजा आदेशिका दिनांक 31–05–2013 जोकि आदेशिका दिनांक 14–05–2013 के अनुसरणात्मक आदेशिका है, के विरूद्व अपील जोकि मात्र एक पत्राचार से संबंधित है, को आधार बनाते हुए अपील को विगत् 09 वर्ष तक चालाया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में रेस्पोडन्ट् संख्या 1/प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

28/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर